



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052021-226885
CG-MH-E-06052021-226885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943

No. 190]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 मई, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/20.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में, -
 - विनियम 30 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"30क. स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) या समाशोधन निगम (समाशोधन निगमों) [क्लीयरिंग कारपोरेशन्स] को सदस्यता से निष्कासित करने अथवा निक्षेपागार (निक्षेपागारों) [डिपॉज़िटरीज़] के साथ किए गए सभी

निक्षेपागार सहभागी करारों (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट) को समाप्त करने के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की विशेष प्रक्रिया

- (1) इस विनियम के तहत कार्यवाहियों का निपटारा करते समय, बोर्ड इस अध्याय में पहले उल्लिखित प्रावधानों में निर्धारित की गई प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा।
- (2) जिस स्टॉक एक्सचेंज (जिन स्टॉक एक्सचेंजों) या जिस समाशोधन निगम (जिन समाशोधन निगमों) का, यथास्थिति, स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) या समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेम्बर) सदस्य था, उसकी (उनकी) ओर से यह सूचना प्राप्त होने पर कि ऐसे स्टॉक दलाल या समाशोधन सदस्य को उसकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, बोर्ड ऐसे स्टॉक दलाल या समाशोधन सदस्य को सूचना (नोटिस) जारी कर सकेगा, जिसके अंतर्गत नोटिसी को, सूचना (नोटिस) की तामील होने की तारीख से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर, इस संबंध में लिखित जवाब के माध्यम से अपना (अपने) पक्ष आदि दस्तावेजी सबूत के साथ रखने (यदि रखना हो तो) को कहा जाएगा कि अधिनियम (एक्ट) या उसके तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द क्यों न किया जाए।
- (3) जिन निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) के यहाँ सहभागी (पार्टिसिपेंट) को सदस्यता मिली हुई हो, उनकी ओर से यह सूचना प्राप्त होने पर कि निक्षेपागार सहभागी करार (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट) को निक्षेपागार (निक्षेपागारों) [डिपॉज़िटरीज़] द्वारा समाप्त कर दिया गया है, बोर्ड ऐसे सहभागी (पार्टिसिपेंट) को सूचना (नोटिस) जारी कर सकेगा, जिसके अंतर्गत नोटिसी को, सूचना (नोटिस) की तामील होने की तारीख से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर, इस संबंध में लिखित जवाब के माध्यम से अपना (अपने) पक्ष आदि दस्तावेजी सबूत के साथ रखने (यदि रखना हो तो) को कहा जाएगा कि अधिनियम (एक्ट) या उसके तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द क्यों न किया जाए।
- (4) इस विनियम के तहत कार्यवाहियों का निपटारा करते समय व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (5) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री और लिखित रूप में रखे गए पक्षों आदि, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद, बोर्ड लिखित पक्ष (जवाब आदि) प्राप्त होने की तारीख से बीस दिनों के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास करेगा।
- (6) बोर्ड, ऐसा आदेश पारित करते समय, संबंधित व्यक्ति पर ऐसी शर्तें लगा सकेगा, जो बोर्ड निवेशकों या उसके ग्राहकों या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित-संरक्षण के लिए ठीक समझे।
- (7) बोर्ड संबंधित व्यक्ति से उन कारकों, जो भी वह ठीक समझे, के संबंध में बोर्ड का समाधान करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं –
 - (क) संबद्ध विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के तहत जो रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज रखे जाने जरूरी हों, उन्हें रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उस व्यक्ति द्वारा किए गए इंतजामों के संबंध में;
 - (ख) निवेशकों की शिकायतों के निवारण के संबंध में;
 - (ग) उसके ग्राहकों (क्लाइंट) के रिकॉर्ड, उसके पैसों (निधियों / फंड) या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के अंतरण (ट्रांसफर) के संबंध में;

- (घ) ग्राहकों (क्लाइंट) को सेवा लगातार मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा किए गए इंतजामों के संबंध में;
- (ङ) चूकों (डिफॉल्ट) या लंबित कार्रवाई, यदि कोई हो, के संबंध में।
- (8) प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाने की तारीख से ही, संबंधित व्यक्ति -
- (क) इस प्रकार रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बोर्ड को लौटा देगा, और जो कार्य आदि करने के लिए उसे ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था उसके बारे में वह यह जाहिर नहीं करेगा कि उसके पास अब भी वह प्रमाणपत्र है;
- (ख) ऐसा कोई कार्य आदि करना बंद कर देगा, जिसके लिए प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था;
- (ग) अपने कार्य आदि ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित (ट्रांसफर) कर देगा जिसके पास ऐसे कार्य आदि करने के लिए मान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो, और अपने ग्राहकों या निवेशकों को अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में रखी हुई उनकी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) या उनका पैसा (निधियाँ / फंड) निकालने या उन्हें अंतरित (ट्रांसफर) करने की अनुमति देगा अथवा उन्हें ऐसा कोई कार्य आदि वापस लेने की अनुमति देगा जो उसे सौंपा गया हो, और जिसके लिए वह ऐसे ग्राहक या निवेशक से किसी भी प्रकार का कोई और शुल्क आदि नहीं लेगा;
- (घ) अपने ऐसे किसी दायित्व के संबंध में प्रावधान करेगा, जो उसे पूरे करने हों या उसे पूरे करने पड़ सकते हों;
- (ङ) उस समयावधि के भीतर और उसी प्रकार ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा [जिसमें निवेशकों के ऐसे किसी रिकॉर्ड (किन्हीं रिकॉर्डों) या किसी दस्तावेज (किन्हीं दस्तावेजों) और उनकी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या उनके पैसों जो ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा (कस्टडी) में हों या उसके नियंत्रण में हों, के संबंध में कार्रवाई भी शामिल है], जैसा संबद्ध विनियमों के तहत जरूरी हो अथवा जैसा बोर्ड द्वारा इस अध्याय के तहत आदेश पारित करते समय या किसी अन्य प्रकार से निदेश दिया जाए।
- (9) इस विनियम के तहत पारित किए गए आदेश की एक प्रति नोटिसी को भेजी जाएगी और बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड भी की जाएगी।
- (10) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने की सूचना, यथास्थिति, स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) या समाशोधन निगम (समाशोधन निगमों) [क्लीयरिंग कारपोरेशन्स] या निक्षेपागार (निक्षेपागारों) [डिपॉज़िटरीज़] को भेजी जाएगी।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./53/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538 द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-

- क. 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
- ख. 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा
- ग. 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
- घ. 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा
- ङ. 21 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/021, द्वारा
- च. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- छ. 21 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/07, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 5th May, 2021

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(INTERMEDIARIES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/20.— In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, –
 - I. after regulation 30, the following shall be inserted namely-

“30A. Special procedure for action on expulsion from membership of the stock exchange(s) or clearing corporation(s) or termination of all the depository participant agreements with depository (ies)

 - (1) While disposing of the proceedings under this regulation, the Board shall not be bound by the procedure specified in the foregoing provisions of this Chapter.
 - (2) On receipt of intimation from all the stock exchange(s) or clearing corporation(s) of which the stock-broker or clearing member, as the case may be, was a member, that such stock broker or clearing member, has been expelled from its membership, the Board may issue a notice to such stock broker or clearing member calling upon the noticee to make its submission(s), if any, within a period not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, through a written reply, along with

- documentary evidence, as to why the certificate of registration, granted under the Act or the regulations made thereunder, should not be cancelled.
- (3) On receipt of intimation from all the depositories where the participant was admitted, that the depository participant agreement has been terminated by the depository(ies), the Board may issue a notice to such participant calling upon the noticee to make its submission(s), if any, within a period not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, through a written reply, along with documentary evidence, as to why the certificate of registration, granted under the Act or the regulations made thereunder, should not be cancelled.
- (4) No opportunity of personal hearing shall be granted while disposing of the proceedings under this regulation.
- (5) After considering the facts and circumstances of the case, material on record and the written submissions, if any, the Board shall endeavor to pass an order within twenty days from the date of receipt of written submissions.
- (6) The Board may, while passing such order, impose such conditions upon the person as it deems fit to protect the interest of the investors or its clients or the securities market.
- (7) The Board may require the person concerned to satisfy the Board the factors as it deems fit, including but not limited to the following -
- (a) the arrangements made by the person for maintenance and preservation of records and other documents required to be maintained under the relevant regulations;
 - (b) redressal of investor grievances;
 - (c) transfer of records, funds or securities of its clients;
 - (d) the arrangements made by it for ensuring continuity of service to the clients;
 - (e) defaults or pending action, if any.
- (8) On and from the date of cancellation of the certificate, the person concerned shall-
- (a) return the certificate of registration so cancelled to the Board and shall not represent itself to be a holder of certificate for carrying out the activity for which such certificate had been granted;
 - (b) cease to carry on any activity in respect of which the certificate had been granted;
 - (c) transfer its activities to another person holding a valid certificate of registration to carry on such activity and allow its clients or investors to withdraw or transfer their securities or funds held in its custody or to withdraw any assignment given to it, without any additional cost to such client or investor;
 - (d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it;
 - (e) take such other action including the action relating to any record(s) or document(s) and securities or money of the investors that may be in custody or control of such person, within the time period and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Board while passing order under this Chapter or otherwise.
- (9) A copy of the order passed under this regulation shall be sent to the noticee and also uploaded on the website of the Board.
- (10) The intimation of the cancelation of the certificate of registration shall be sent to the stock exchange(s) or the clearing corporation(s) or the depository (ies), as the case may be.”

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on:-
 - a) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
 - b) July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.
 - c) January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
 - d) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.
 - e) November 21, 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.
 - f) April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - g) January 21, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021-07